सिविल विविध प्रकरण कमांक 43/17 (लक्ष्मी नारायण बनाम जयप्रकाश आदि) में पारित आदेश दिनांकित 15.05.18 के अनुसार आज यह इजरा प्रकरण कमांक 22/03-06 को पूर्व नंबर पर पूनः विधिवत सुनवाई में लिया गया है।

प्रकरण विधिवत पंजी में पूर्व नंबर पर दर्ज किये जाने हेतु प्रकरण को केंद्रीय पंजीयन लिपिक के पास भेजा जावे।

डिकीदार पक्ष में लक्ष्मीनारायण, सरनाम सिंह, रामनिवास व श्रीमती उषा सिंहत श्री आर०एस० बघेल अधिवक्ता उपस्थित।

मदयून पक्ष की ओर से श्री के०सी० उपाध्याय अधिवक्ता उपस्थित।

डिकींदार पक्ष की ओर से श्री आर0एस0 बघेल अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का शपथ पत्र एवं शोक संदेश की फोटोप्रति सहित पेश किया गया तथा मृतक डिकीदार रामवती के शेष विधिक प्रतिनिधीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया।

उक्त आवेदन पत्र की प्रतिलिपि अनावेदक पक्ष के अधिवक्ता को प्रदान किये जाने पर उन्होंने उक्त आवेदन पत्र का लिखित जवाब नहीं देना व्यक्त करते हुये उक्त संबंध में कोई आपित्त नहीं होना व्यक्त किया एवं तदविषयक टीप भी उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अंकित की गई।

अतः उक्त आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि डिकीदार कमांक 2 श्रीमती रामवती की दिनांक 05.12.12 को मृत्यु हो जाने से उसके शेष सभी विधिक प्रतिनिधीगण को अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन करते हुये समर्थन में सरनाम का शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसके संबंध में विपक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया गया है तथा मृतक श्रीमती रामपित का पित अर्थात एक विधिक प्रतिनिधी लक्ष्मीनारायण पूर्व से अभिलेख पर है।

अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि डिकीदार पक्ष द्वारा डिकीदार कमांक 2 श्रीमती रामवती को विधिवत लाल स्याही से फौत लिखा जाकर आवेदन पत्र में वर्णित शेष विधिक प्रतिनिधीगण के नाम इजरा आवेदन पत्र पर जोडते हुये प्रमाणित कराया जावे।

डिकीदार पक्ष द्वारा उक्त आदेशानुसार नाम जोड़े गये, जिसे मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया।

इसी समय डिकीदार पक्ष द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का पेश कर मदयून रामिकशन के फौत हो जाने से उसके शेष सभी विधिक प्रतिनिधीगण को इजरा आवेदन पत्र में जोडे जाने का निवेदन किया गया है तथा यह भी प्रकट किया गया है कि उक्त संबंध में डिकीदार पक्ष द्वारा संबंधित विविध सिविल प्रकरण कमांक 43/17 लक्ष्मीनारायण बनाम जयप्रकाश आदि में पूर्व से ही कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रतिलिपि विपक्ष को प्रदान किये जाने पर उन्होंने तदविषयक कोई आपित्त नहीं होना प्रकट करते हुये लिखित जवाब नहीं देना व्यक्त किया तथा विविध सिविल प्रकरण कमांक 43/17 के अवलोकन से भी पाया जाता है कि उक्त प्रकरण में अनावेदक कमांक 2 रामिकशन के फौत हो जाने से उसके शेष सभी विधिक प्रतिनिधीगण को अभिलेख पर पूर्व से ही लिया जा चुका है।

अतः आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि डिकीदार पक्ष द्वारा इजरा आवेदन पत्र पर मदयून क्रमांक 2 रामिकशन को विधिवत लाल स्याही से फौत हो जाना लेख करते हुये उसके शेष सभी विधिक प्रतिनिधीगण के नाम जोडे जावे।

डिकीदार पक्ष द्वारा उक्त आदेशानुसार नाम जोड़े गये, जिसे मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया।

श्री कें0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता द्वारा सभी मदयूनगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया।

सभी मदयून पक्ष की ओर से श्री केंoसीo उपाध्याय अधिवक्ता द्वारा संपूर्ण डिकीधन की पूर्ण तुष्टि स्वरूप एकमुश्त 1,80,000 /— (एक लाख अस्सी हजार) रूपये उपस्थित डिकीदार पक्ष को प्रदान किये गये।

उपस्थित सभी डिकीदार पक्ष द्वारा संपूर्ण डिकीधन की पूर्ण तुष्टि स्वरूप उक्त राशि प्राप्त करते हुये इस इजरा प्रकरण को स्वेच्छया पूर्ण संतुष्टि में निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है एवं तदविषयक टीप भी उनके द्वारा हासिये में अंकित की गई है तथा उपस्थित सभी मदयूनगण लक्ष्मीनारायण, सरनाम सिंह, रामनिवास व श्रीमती उषा की पहचान उनके अधिवक्ता श्री आर0एस0 बघेल द्वारा की गई।

अतः यह इजरा प्रकरण पूर्ण संतुष्टि में निरस्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

> (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड